

22/2/23

पत्रावली पेश हुई। चकीस पार्थी एवं अपार्थी दोनों उपस्थित। चकीस पार्थी ने प्रार्थना पत्र पढ़ाकर कर निवेदन किया कि ऋणी द्वारा बैंक की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। पार्थी पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए विधवाँ करना चाहते हैं। अतः पक्षों अन्तर्गत धारा 14 सख्केरी एक्ट 2002 विधवाँ करने की सुविधा दी जाकर जाती है। पत्रावली प्रथम शुभारंभ होकर 5:00 बजे

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)



22-02-23